# न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

## (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

**पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या :- 71/2022 अपील सू.प्र.

## उनवान

| | | |
|---|---|---|
| श्री सज्जन सोडानी, निवासी पोस्ट बीगोद, तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा<br><br>--अपीलार्थी | **बनाम** | 1. प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख अनुभाग एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा<br><br>--प्रत्यर्थीगण |

## अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

## निर्णय

दिनांक : 30.09.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 24.08.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/- रूपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 59 एफ 194783 के साथ एक आवेदन दिनांक 18.07.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भीलवाड़ा को प्रेषित किया किन्तु आवेदन से वांछित सूचना भू-अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण उक्त आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख अनुभाग एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को अंतरित किया गया ।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी प्रभारी अधिकारी, भू-अभिलेख अनुभाग एवं लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 69946 दिनांक 06.10.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं -

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 3 से चाही गयी सूचना/जवाब भू-अभिलेख अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्रांक 68544 दिनांक 18.08.2022 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गयी है एवं बिन्दु संख्या 2 की सूचना तैयार कर निर्धारित शुल्क जमा कराकर सूचना प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी को सूचित किया गया, किन्तु अपीलार्थी द्वारा कार्यालय में सम्पर्क नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना/जवाब उपलब्ध करा दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 30.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा